न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
47/2023/प्रार्थना पत्र	2023/70	13.04.2023	18.02.2026

अनवान

1– गोपाल पिता रामकिशन तेली निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1– शंकर पिता उदा चमार निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– खाना पिता हमीरा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा– मृतक
2/1– मु0 हगामी पत्नी खाना चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2/2– मु0 भोजी पुत्री खाना चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2/3– लालू पिता खाना चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– गांगा पिता हमीरा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा– मृतक
3/1– मांगी पत्नी गांगा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3/2– भेरू पिता गांगा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– गोपाल पिता उदा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– छोटी पुत्री उदा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– पप्पू पिता उदा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– लक्ष्मण पिता हमीरा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा– मृतक
7/1– सोहनी पत्नी लक्ष्मण चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7/2– खमाण पुत्र लक्ष्मण चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7/3– फोरू पिता लक्ष्मण निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– लाली पुत्री उदा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– संतोक पत्नी हजारी चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा– मृतक
9/1– उदयलाल पिता हजारी चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9/2– सोनाथ पिता हजारी चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10– सरजू पत्नी उदा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11– सोनाथ पिता हजारी चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
12– हीरा पुत्री उदा चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
13– उदा पिता बगतावर चमार निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
14– खमाण पिता लक्ष्मण चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

15– फोरया पिता लक्ष्मण चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
16– ललिता पुत्री लक्ष्मण चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
17– विमला पुत्री लक्ष्मण चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
18– सोहनी पत्नी लक्ष्मण चमार निवासी फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
19– राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री कैलाश चंद्र सुवालका –अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री मोहम्मद शरीफ –अभिभाषक विपक्षीगण संख्या 1,4,6,11,14,15

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :– प्रार्थी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात आरजी संख्या 846 रकबा 0.25 है0, 847 रकबा 0.25 है0, 853 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 0.75 है0 ग्राम फूलियाखुर्द पटवार हल्का फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा में स्थित है। विपक्षीगण संख्या 01 उदा की मृत्यु हो गई है उसके पुत्र शंकर को विपक्षी बनाया जिसे कब्जे काश्त की आराजी संख्या 852 रकबा 0.26 है0, विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 12 के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी नम्बर 848 रकबा 0.23 है0, 901 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0, विपक्षी संख्या 03 के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी संख्या 850 रकबा 0.22 है0 एवं विपक्षीगण संख्या 13 के कब्जे काश्त की आराजी संख्या 851 रकबा 0.22 है0 तथा विपक्षीगण संख्या 14 लगायत 18 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी संख्या 849 रकबा 0.22 है0 ग्राम फूलियाखुर्द में स्थित है। आराजी संख्या 485, 840, 841, 850 के सटवा हुआ सरकारी रास्ता है जिससे प्रार्थी अपनी प्रार्थन पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात में जाने के लिए आराजी संख्या 850, 849, 848, 852, 851 के बीच मेर से अपनी कृषि आराजियात पर कृषि उपकरण खेतो बुवाई निराई कटाई के लिये ट्रैक्टर लेकर बिना किसी बाधा के आता जाता रहा है। लेकिन विपक्षीगण 01 लगायत 18 ने प्रार्थी को उपरोक्त रास्ते से आने जाने से मना कर दिया ह ै जिससे प्रार्थी अपनी फसल को लाने ले जाने में समस्य हो गई है। इसलिए आराजी संख्या 850, 849, 848, 852, व 851, के मध्य से दोनों तरफ 10–10 फीट रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का मौजूद नहीं है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते से आने जाने से मना कर दिया इसलिए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आरजी में आने जाने हेतु आराजी संख्या 850, 849, 848, 852 व 851, के मध्य से दोनों तरफ 10–10 फीट रास्ता डीएलसी दर से दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें नियत पेशी दिनांक 29.05.2023 को रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 4, 6, 11, 14, 15 की ओर से अभिभाषक श्री मोहम्मद शरीफ द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। विपक्षीगण संख्या 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 के सम्मन अदम तामिल लौटे जिनमें से विपक्षीगण संख्या 2, 3, 7, 9 की मृत्यु होना तामिली रिपोर्ट में अंकित किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। विपक्षीगण संख्या 10 व 18 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पेशी दिनांक 28.08.2023 को अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण संख्या 2, 3, 7, 9 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मय कायम मुकाम की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन के प्रस्तुत किये गये, जिससे उनकी तलबी की गई। दिनांक 10.10.2023 को विपक्षीगण संख्या 02 के कायम मुकाम क्रमांक 1, 2 व विपक्षीगण संख्या 3 के कायम मुकाम क्रमांक 1, 2 तथा विपक्षीगण संख्या 7 के कायम मुकाम क्रमांक 1, 2, 3 तथा विपक्षीगण संख्या 9 के कायम मुकाम क्रमांक 2 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 9 के कायम मुकाम क्रमांक 01 की मृत्यु की सूचना तामिली रिपोर्ट से प्राप्त हुई। दिनांक 12.02.2024 को अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा0दी0 के प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 27.02.2024 को गुणवगुण के आधार पर स्वीकार किया गया। दिनांक 01.05.2024 को विपक्षीगण संख्या 02 के कायम मुकाम क्रमांक 3 के कायम मुकाम क्रमांक 1 से 3 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। इसी प्रकार विपक्षीगण संख्या 9 के विधिक वारिस क्रमांक 1 के कायम मुकाम क्रमांक 1 से 4 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 24.06.2024 को अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा संशोधन अनवान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण विपक्षीगण संख्या 5, 8, 12, 13, 16, 17 की तलबी, जवाब विपक्षीगण के प्रस्तुत करने के नियत किया गया। विपक्षीगण संख्या 5, 8, 12, 13, 16, 17 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड ए0डी0 से करवाई गई। जिनकी डिलवरी रिपोर्ट अनुसार लिफाफा डिलिवर होने के बावजदू न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 674 दिनांक 04.09.2025 से मौका रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये जिन्हें दिनांक 10.09.2025 को रेकार्ड पर लिया गया। दिनांक 21.01.2026 को अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाब बंद किया जाकर प्रकरण बहस के नियत किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक ढीकोला की नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है। तथा मार्ग की नितान्त आवश्यकता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम रास्ता है। एवं रास्ते की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं की गई है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा ग्राम फूलियाखुर्द पटवार हल्का फूलियाखुर्द स्थित विपक्षीगण संख्या 14 लगायत 18 की कृषि आराजियात 849 रकबा 0.22 है. में से 0.0192 हैक्टेयर (48.12 मीटर गुणा 4 मीटर/192 वर्ग मीटर) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 03 की आराजी संख्या 850 रकबा 0.22 है. में से 0.0114 हैक्टेयर (25.5 मीटर गुणा 4 मीटर/114 वर्ग मीटर) भूमि तथा विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 12 की कृषि आराजियात 848 रकबा 0.22 है. में से 0.0192 हैक्टेयर (48.12 मीटर गुणा 4 मीटर/192 वर्ग मीटर) भूमि इस प्रकार कुल किता 3 रकबा 0.0499 है. (499 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति जताई

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:-

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :- प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना, प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता होना एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम होना बताया है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता के अभाव है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निर्बाध अवागमन के लिए निकटतम/सुगमतम रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :—

वाके ग्राम फूलिया खुर्द पटवार हल्का फूलिया खुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 14 लगायत 18 की कृषि आराजियात 849 रकबा 0.22 है. में से 0.0192 हैक्टेयर (48.12 मीटर गुणा 4 मीटर/192 वर्ग मीटर) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 03 की आराजी संख्या 850 रकबा 0.22 है. में से 0.0114 हैक्टेयर (25.5 मीटर गुणा 4 मीटर/114 वर्ग मीटर) भूमि तथा विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 12 की कृषि आराजियात 848 रकबा 0.22 है. में से 0.0192 हैक्टेयर (48.12 मीटर गुणा 4 मीटर/192 वर्ग मीटर) भूमि इस प्रकार कुल किता 3 रकबा 0.0499 है. (499 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0192 है0 को आराजी नम्बर 849 रकबा 0.22 हैक्टेयर एवं 0.0192 है0 को आराजी नम्बर 848 रकबा 0.22 है0 तथा 0.0114 है0 को आराजी नम्बर 850 में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि
तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा